क्रम-संख्या–28 (क)

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी० / एल०–
डब्लू० / एन०पी० / 91 / 2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 23 फरवरी, 2021

फाल्गुन 4, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग–2

संख्या 206 / ग्यारह-2–21-9(42)-17-उ0प्र0 जी0एस0टी0 नियम–2017-आदेश(173)-2021

लखनऊ, 23 फरवरी, 2021

अधिसूचना

प0आ0–73

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 164 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, एतद्द्वारा उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 का अग्रतर संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाती हैं, अर्थात् :–

उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (उनचासवाँ संशोधन) नियमावली, 2021 कही जायेगी।

(2) यह नियमावली तारीख 01 जनवरी, 2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

नियम 59 का संशोधन

2–उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर नियमावली, 2017 (जिसे आगे इस अधिसूचना में उक्त नियमावली कहा गया है) में, नियम 59 में, उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :–

''(6) इस नियम में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी,–

(क) यदि किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति ने पिछले दो महीने के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं किया है तो उसे धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 में माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी;

(ख) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिसे धारा 39 की उपधारा (1) के परंतुक के अधीन प्रत्येक तिमाही का रिटर्न भरना जरूरी हो, धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है;

(ग) ऐसे किसी रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति को, जिस पर नियम 86ख के अधीन यह प्रतिबंध हो कि 99% से अधिक देय कर का भुगतान करने के लिए वह अपने इलेक्ट्रॉनिक लेजर में उपलब्ध राशि का उपयोग नहीं कर सकता है, धारा 37 के अधीन प्ररूप जीएसटीआर–1 में या बीजक प्रस्तुत करने की सुविधा का उपयोग करके अपने माल या सेवाओं या दोनों की जावक पूर्तियों के ब्यौरे प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं होगी, यदि उसने पिछली कर अवधि के लिए प्ररूप जीएसटीआर–3ख में विवरणी प्रस्तुत नहीं की है।"

आज्ञा से,
संजीव मित्तल,
अपर मुख्य सचिव।

———

IN pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 206/XI-2–21-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(173)-2021, dated February 23, 2021 :

No. 206/XI-2–21-9(42)-17-U.P. GST Rules-2017-Order(173)-2021

Dated Lucknow, February 23, 2021

IN exercise of the powers conferred by section 164 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby makes the following rules further to amend the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017, namely :–

UTTAR PRADESH GOODS AND SERVICES TAX
(FORTY NINTH AMENDMENT) RULES, 2021

Short title and commencement

1. (1) These rules may be called the Uttar Pradesh Goods and Services Tax (Forty Ninth Amendment) Rules, 2021.

(2) These rules shall be deemed to have come into force with effect from 1st January, 2021.

Amendment of rule 59

2. In the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereafter in this notification referred to as the said rules), in rule 59, *after* sub-rule (5), the following sub-rule shall be *inserted,* namely :-

"(6) Notwithstanding anything contained in this rule,-

(a) a registered person shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding two months;

(b) a registered person, required to furnish return for every quarter under the proviso to sub-section (1) of section 39, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period;

(c) a registered person, who is restricted from using the amount available in electronic credit ledger to discharge his liability towards tax in excess of ninety-nine per cent of such tax liability under rule 86B, shall not be allowed to furnish the details of outward supplies of goods or services or both under section 37 in FORM GSTR-1 or using the invoice furnishing facility, if he has not furnished the return in FORM GSTR-3B for preceding tax period."

By order,
SANJIV MITTAL,
Apar Mukhya Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 792 राजपत्र–2021–(1686)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।
पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 78 सा0 राज्य कर–2021–(1687)–1000 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / ऑफसेट)।